

21 अप्रैल 2024 : समाचार विश्लेषण

A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

सामाजिक न्याय

1. शर्करा युक्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हानिकारक क्यों हैं?

राज्यव्यवस्था

1. सीजेआई का कहना है कि नए आपराधिक कानूनों में सुरक्षा उपाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे।

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

पर्यावरण

1. भारत ने एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बजाय 'विनियमन' को चुना है।
2. नए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम नियम क्या हैं?

अर्थव्यवस्था

1. वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या दृष्टिकोण है?

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

E. संपादकीय:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. आहार का ग्लाइसेमिक सूचकांक: मधुमेह नियंत्रण से परे महत्व।

2. जीवन का स्थायी चक्र।

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

शर्करा युक्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हानिकारक क्यों हैं?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित

सामाजिक न्याय

विषय: गरीबी और भूखमरी से संबंधित मुद्दे

मुख्य परीक्षा: शर्करायुक्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से संबंधित समस्याएँ

प्रसंग:

- हाल की संवीक्षा में स्वादयुक्त माल्ट-आधारित दूध पाउडर और शिशु आहार में उच्च चीनी सामग्री पर चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है।
- सरकारी प्राधिकरणों ने भ्रामक विपणन रणनीति और अत्यधिक चीनी सामग्री के कारण ऐसे उत्पादों को "स्वस्थ" लेबल करने के प्रति चेताया है।

माल्ट-आधारित दूध उत्पादों की समस्याग्रस्त लेबलिंग:

- विश्लेषण से पता चलता है कि बोरनविटा जैसे उत्पादों में उच्च शर्करा सामग्री है, जिसमें महत्वपूर्ण मात्रा में अतिरिक्त चीनी शामिल है।
- माल्टिंग प्रक्रिया शर्करा सामग्री में योगदान करती है, जिससे स्वास्थ्य की भ्रामक धारणा बनती है।
- FSSAI के नियम निर्धारित करते हैं कि प्रति 100 ग्राम में 5 ग्राम से कम चीनी वाले उत्पाद "निम्न शर्करा वाले" होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन कई उत्पाद इस सीमा से अधिक हैं।

शिशु आहार पर विवाद:

- शिशु आहार में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त महत्वपूर्ण मात्रा में शर्करा होती है, जो शिशुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ बढ़ाती है।
- शिशुओं में अत्यधिक शर्करा के सेवन से भविष्य में अग्न्याशय में तनाव, मधुमेह और मोटापा हो सकता है।
- माल्टोडेक्सट्रिन जैसे अवयवों को मिलाने से उच्च ग्लाइसेमिक सूचकांक के कारण स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं।

FSSAI द्वारा विनियामक प्रयास:

- FSSAI मसौदा अधिसूचना उच्च वसा, शर्करा, नमक (HFSS) खाद्य पदार्थों को संबोधित करती है, निर्दिष्ट शर्करा और वसा सामग्री सीमा से अधिकता वाले उत्पादों के लिए चेतावनी लेबल का प्रस्ताव करती है।
- पैक के सामने लेबलिंग पर स्पष्टता की कमी और चेतावनी लेबल पर स्वास्थ्य रेटिंग स्टार्स को प्राथमिकता देना विशेषज्ञों के बीच चिंता पैदा करता है।

भावी कदम:

- भ्रामक विपणन रणनीति को संबोधित करने के लिए "स्वस्थ" और "अस्वास्थ्यकर" खाद्य पदार्थों को परिभाषित करने वाले व्यापक नियम आवश्यक हैं।
- उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए विशेष रूप से सोशल मीडिया पर शिशु आहार के अवैध विज्ञापनों के खिलाफ कड़ा प्रवर्तन आवश्यक है।

सारांश:

- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा सामग्री पर ध्यान सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियामक हस्तक्षेप के महत्व को रेखांकित करता है। भ्रामक लेबलिंग प्रथाओं से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकारी एजेंसियों, खाद्य निर्माताओं और उपभोक्ता वकालत समूहों के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं।

सीजेआई का कहना है कि नए आपराधिक कानूनों में सुरक्षा उपाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे
सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित
राज्यवस्था

विषय: भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की विशेषताएं और भारतीय संविधान में संशोधन

मुख्य परीक्षा: नए आपराधिक कानूनों का महत्व

प्रसंग:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए आपराधिक कानूनों की सराहना की।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) सहित नए कानून, 1 जुलाई से आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं।
- पीड़ित हितों की रक्षा तथा अपराधों की जांच और अभियोजन की दक्षता में सुधार पर जोर है।

नए कानूनों की विशेषताएं

- BNSS ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता को प्रतिस्थापित कर दिया है, और खोज और जब्ती कार्यों की दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग जैसे उपाय प्रस्तुत किए हैं।
- सात वर्ष से अधिक कारावास वाले अपराधों के लिए अपराध स्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्य है।
- दृश्य-श्रव्य रिकॉर्डिंग पारदर्शिता बढ़ाती है और प्रक्रियात्मक अनौचित्य के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है।

न्यायिक जांच और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ

- न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने तलाशी और जब्ती के दौरान नागरिक अधिकारों की सुरक्षा में न्यायिक संवीक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।
- कार्यवाही के डिजिटलीकरण और डिजिटल साक्ष्य के निर्माण में गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के संबंध में चिंताएँ उठाई गईं।

सरकार की प्रतिक्रिया

- केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष को चुप कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के दुरुपयोग के आरोपों को खारिज कर दिया।
- आरोपों के जवाब में कॉन्फ्रेंस में ED प्रमुख राहुल नवीन और CBI निदेशक प्रवीण सूद मौजूद थे।

मुद्दे

- नए कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन और कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा अनुकूलन सुनिश्चित करना।
- गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करना और आपराधिक कार्यवाही के डिजिटलीकरण में डेटा रिसाव को रोकना।

महत्व

- नए आपराधिक कानूनों की ओर परिवर्तन भारत के कानूनी ढांचे में एक मील के पत्थर को दर्शाता है, जो पीड़ित संरक्षण और प्रक्रियात्मक दक्षता पर जोर देता है।
- न्यायिक संवीक्षा और गोपनीयता सुरक्षा नागरिक अधिकारों को बरकरार रखती है और आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखती है।

समाधान

- नए कानूनों में सुचारु परिवर्तन और प्रक्रियात्मक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- अभियुक्तों और पीड़ितों दोनों के गोपनीयता अधिकारों की सुरक्षा के लिए मजबूत डेटा सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन।

सारांश:

- मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का नए आपराधिक कानूनों का समर्थन नागरिक अधिकारों को बनाए रखने और न्याय प्रशासन में दक्षता में सुधार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नए कानूनी ढांचे में परिवर्तन एक अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में एक कदम का संकेत देता है।

भारत ने एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बजाय 'विनियमन' को चुना है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

पर्यावरण

विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण।

मुख्य परीक्षा: एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम।

प्रसंग:

- प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक चिंता के कारण इस मुद्दे के समाधान के लिए 192 देशों के बीच चर्चा हुई है।
- इन वार्ताओं के बीच एकल-उपयोग प्लास्टिक विनियमन पर भारत का रुख उजागर हुआ है।
- पिछले प्रतिबंधों के बावजूद, भारत ने एकल-उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन के बजाय विनियमन का विकल्प चुना है।
- यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका का इस मामले पर अलग-अलग रुख है।

भारत का दृष्टिकोण

- भारत ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम (2021) लागू किया, जिसमें एकल-उपयोग प्लास्टिक की 19 श्रेणियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- इन प्रतिबंधित वस्तुओं में कप, चम्मच और पैकेजिंग फिल्म जैसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक सामान शामिल हैं।
- इन प्रतिबंधों का कार्यान्वयन पूरे देश में अलग-अलग है, कुछ आउटलेट अभी भी इन वस्तुओं को बेच रहे हैं।
- भारत अब एकल-उपयोग प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे विनियमित करने का पक्षधर है।
- यह समस्याग्रस्त प्लास्टिक की पहचान के लिए "विज्ञान-आधारित मानदंड" के उपयोग का समर्थन करता है।

वैश्विक वार्ता

- बातचीत के विषयों में, एकल-उपयोग प्लास्टिक सहित समस्याग्रस्त और परिहार्य प्लास्टिक उत्पादों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है।
- इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों उपायों को लागू करना है।
- रणनीतियों में ऐसे उत्पादों को बाज़ार से हटाना, वैकल्पिक तरीकों या विकल्पों के माध्यम से उत्पादन कम करना और स्थिरता के लिए वस्तुओं को फिर से डिज़ाइन करना शामिल है।
- यूरोपीय संघ इन प्लास्टिक के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध का प्रस्ताव करता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के रुख के साथ है, पूर्ण निषेध के बजाय विनियमन को प्राथमिकता देता है।

मुद्दे

- भारत में प्लास्टिक प्रतिबंधों का असंगत कार्यान्वयन चुनौतियाँ पैदा करता है।
- एकल-उपयोग प्लास्टिक को विनियमित करने में आर्थिक और व्यावहारिक विचारों के साथ पर्यावरणीय चिंताओं को संतुलित करना।
- प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में एकल-उपयोग प्लास्टिक को विनियमित करने की प्रभावशीलता अनिश्चित बनी हुई है।
- वैश्विक दृष्टिकोण में विसंगतियाँ प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के ठोस प्रयासों में बाधा बन सकती हैं।

महत्व

- भारत का रुख पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों कारकों पर विचार करते हुए, प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है।
- वार्ता समन्वित प्रयासों के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने की वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
- विज्ञान-आधारित मानदंडों पर जोर देने से प्लास्टिक विनियमन में सूचित निर्णय लेना सुनिश्चित होता है।

समाधान

- भारत में मौजूदा प्लास्टिक प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना।
- एकल-उपयोग प्लास्टिक के स्थायी विकल्पों के अनुसंधान और विकास में निवेश करना।
- प्लास्टिक विनियमन और प्रदूषण प्रबंधन के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना।

सारांश:

- एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के बजाय विनियमन के लिए भारत की प्राथमिकता प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। वैश्विक वार्ताएँ प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए समन्वित कार्रवाई के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। प्रभावी प्लास्टिक विनियमन और प्रदूषण शमन प्रयासों के लिए विज्ञान-आधारित मानदंड और टिकाऊ विकल्प महत्वपूर्ण हैं।

नए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम नियम क्या हैं?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

पर्यावरण

विषय: संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण

मुख्य परीक्षा: नये ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम नियमों का महत्व

प्रसंग:

- पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (GCP) के लिए नए दिशानिर्देश पेश किए हैं, जिसमें वृक्षारोपण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर जोर दिया गया है।
- GCP का लक्ष्य बाजार-आधारित तंत्रों के माध्यम से स्वैच्छिक पर्यावरण संरक्षण कार्यों को प्रोत्साहित करना है।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) कार्यक्रम का प्रबंधन करती है और 'ग्रीन क्रेडिट' के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करती है।

ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम का अवलोकन:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ के सिद्धांत से उत्पन्न, GCP स्थिरता और पर्यावरण सुधार को बढ़ावा देता है।
- व्यक्ति, संगठन और कंपनियां 'ग्रीन क्रेडिट' अर्जित करने के लिए वनीकरण, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं।
- ICFRE कार्यक्रम की देखरेख करता है, ग्रीन क्रेडिट की गणना करने और व्यापार की सुविधा के लिए पद्धतियों को परिभाषित करता है।

वनीकरण पहल:

- कंपनियाँ और व्यक्ति निम्नीकृत वन भूमि पर वनीकरण परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकते हैं, जिसमें राज्य वन विभाग वृक्षारोपण के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- दो वर्षों के बाद ICFRE द्वारा मूल्यांकन किए गए प्रत्येक रोपित वृक्ष को एक ग्रीन क्रेडिट मिलता है।
- 13 राज्यों के वन विभागों ने वनीकरण परियोजनाओं के लिए लगभग 10,983 हेक्टेयर भूमि की पेशकश की है, जिसमें कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने निवेश के लिए पंजीकरण कराया है।

GCP को लेकर विवाद:

- आलोचकों का तर्क है कि GCP पर्यावरण संरक्षण को वस्तुबद्ध (commodifies) करता है और वन संरक्षण कानूनों को दरकिनार कर सकता है।
- वृक्षारोपण के पारिस्थितिक प्रभाव, आक्रामक प्रजातियों के संभावित प्रचार और कार्बन व्यापार पर स्पष्टता की कमी के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया:

- मंत्रालय खराब वन परिदृश्यों को बहाल करने की लागत की गणना करने के लिए राज्यों के लिए दिशानिर्देश जारी करता है।
- स्वदेशी प्रजातियों को प्राथमिकता के साथ विविध पारिस्थितिक तंत्रों के अनुरूप वृक्ष घनत्व आवश्यकताओं में लचीलापन प्रदान किया गया।
- कार्यक्रम पायलट चरण में है, जिसमें ग्रीन क्रेडिट में झाड़ियों और घासों के योगदान की मात्रा निर्धारित करने के प्रयास चल रहे हैं।
- कंपनियां ग्रीन क्रेडिट का उपयोग करके केवल आंशिक रूप से अपने प्रतिपूरक वनीकरण दायित्वों की भरपाई कर सकती हैं।

मुद्दे:

- प्रतिपूरक वनीकरण आवश्यकताओं को दरकिनार करने के लिए ग्रीन क्रेडिट का संभावित दुरुपयोग।
- पारिस्थितिक प्रभावों और विविध पारिस्थितिक तंत्रों के लिए हरित क्रेडिट की मात्रा पर स्पष्टता का अभाव।

महत्व:

- GCP बाजार-आधारित तंत्रों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।
- वृक्षारोपण के बजाय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर जोर देना समग्र संरक्षण प्रयासों की दिशा में वैश्विक रुझानों के अनुरूप है।

समाधान:

- वनीकरण परियोजनाओं की पारिस्थितिक अखंडता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करना।
- दुरुपयोग और पारिस्थितिक प्रभाव से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए GCP में हितधारक जुड़ाव और पारदर्शिता बढ़ाना।

सारांश:

- ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव उपकरण के रूप में आशा प्रदान करता है। स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बहाली को प्राप्त करने में कार्यक्रम की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए विवादों को संबोधित करना और कार्यान्वयन तंत्र को परिष्कृत करना महत्वपूर्ण है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या दृष्टिकोण है?

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित

अर्थव्यवस्था

विषय: वृद्धि एवं विकास

प्रारंभिक परीक्षा: आईएमएफ

मुख्य परीक्षा: वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए चुनौतियाँ

प्रसंग:

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने लगातार उच्च मुद्रास्फीति, निजी ऋण बाजार में अनियमित ऋण और वित्तीय संस्थानों पर साइबर हमलों पर चिंताओं का हवाला देते हुए वैश्विक वित्तीय स्थिरता के बारे में चेतावनी जारी की है।
- IMF की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, मुद्रास्फीति में कमी और केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती के बारे में निवेशकों का आशावाद बढ़ना समयपूर्व हो सकता है।

मुद्रास्फीति के जोखिम और ब्याज दर की उम्मीदें:

- निवेशकों को उम्मीद है कि मुद्रास्फीति कम होने पर केंद्रीय बैंक ब्याज दरें कम करेंगे, जिससे परिसंपत्ति की कीमतें बढ़ेंगी।
- IMF ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अवसृद्ध मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखलाओं और कीमतों को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक जोखिमों को उजागर करते हुए समयपूर्व आशावाद के प्रति आगाह किया है।
- यदि जोखिम बना रहता है तो परिसंपत्ति की कीमतों में तीव्र कमी आ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों को महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है।

भारत सहित उभरते बाजारों पर प्रभाव:

- केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण भारत जैसे उभरते बाजारों को पूंजी प्रवाह से लाभ हुआ है।

- हालाँकि, यदि पश्चिमी केंद्रीय बैंक उच्च ब्याज दरें बनाए रखते हैं, तो उभरते बाजारों से पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है, जिससे मुद्रा का मूल्यहास और आर्थिक मंदी आ सकती है।
- भारतीय रुपये का मूल्यहास और देश की वित्तीय प्रणाली पर दबाव महत्वपूर्ण पूंजी बहिर्वाह के परिणामस्वरूप हो सकता है।

अनियमित निजी ऋण बाज़ार पर चिंताएँ:

- IMF बढ़ते अनियमित निजी ऋण बाजार पर प्रकाश डालता है, जहां गैर-बैंक वित्तीय संस्थान कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को ऋण देते हैं।
- उधारकर्ताओं की वित्तीय सुदृढ़ता और जोखिम के आकलन में पारदर्शिता की कमी के संबंध में चिंताएं उत्पन्न होती हैं, जो संभावित रूप से व्यापक वित्तीय प्रणाली को प्रभावित करती हैं।
- भारत उच्च जोखिम वाले उधारकर्ताओं को ऋण देने और संकटग्रस्त संपत्तियों में निवेश करने वाले वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs) के उदय के साथ एक समान रुझान का अनुभव कर रहा है।

समाधान:

- केंद्रीय बैंकों और वित्तीय नियामकों को मुद्रास्फीति और ब्याज दर अपेक्षाओं को प्रबंधित करने के लिए स्पष्ट और सुसंगत नीतियों के बारे में बताना चाहिए।
- वित्तीय स्थिरता के जोखिमों को कम करने के लिए निजी ऋण बाजार की निगरानी और विनियमन के लिए उन्नत निरीक्षण और पारदर्शिता उपायों की आवश्यकता है।
- वैश्विक वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करने से प्रणालीगत जोखिमों की समय पर पहचान और शमन की सुविधा मिल सकती है।

सारांश:

- IMF की चेतावनियाँ मुद्रास्फीति, ब्याज दर अपेक्षाओं और अनियमित ऋण प्रथाओं सहित वैश्विक वित्तीय स्थिरता के जोखिमों को संबोधित करने के लिए सक्रिय उपायों के महत्व को रेखांकित करती हैं। वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन और अखंडता की सुरक्षा के लिए नीति निर्माताओं, केंद्रीय बैंकों और वित्तीय नियामकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास आवश्यक हैं।

संपादकीय-द हिन्दू

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. आहार का ग्लाइसेमिक सूचकांक: मधुमेह नियंत्रण से परे महत्व

प्रसंग: ग्लाइसेमिक सूचकांक (GI) की अवधारणा 1981 में प्रोफेसर डेविड जेनकिंस द्वारा पेश की गई थी, जो रक्त शर्करा के स्तर पर खाद्य पदार्थों के प्रभाव को मापती थी।

- GI रक्त ग्लूकोज पर उनके प्रभाव के आधार पर खाद्य पदार्थों को निम्न, मध्यम या उच्च के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसमें मानक के रूप में ग्लूकोज या सफेद ब्रेड लिया जाता है।

आहार में **GI** का महत्व:

- पोषण विशेषज्ञ उच्च GI आहार के प्रतिकूल प्रभावों और निम्न GI आहार के लाभों पर जोर देते हैं।
- आलोचकों का तर्क है कि केवल GI के आधार पर आहार की गुणवत्ता का आकलन प्रोटीन और वसा जैसे अन्य स्थूल पोषक तत्वों को नजरअंदाज कर देता है।

GI और GL का समर्थन करने वाले साक्ष्य:

- अध्ययन उच्च GI आहार को टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और मृत्यु दर के जोखिम से जोड़ते हैं।
- भारत सहित 20 देशों के 137,851 प्रतिभागियों पर किए गए PURE अध्ययन में प्रमुख हृदय संबंधी घटनाओं और मृत्यु दर के साथ उच्च GI आहार के संबंध का पता चला।
- भारत में सफेद चावल और गेहूं जैसे उच्च GI खाद्य पदार्थों की अधिक खपत ग्लाइसेमिक लोड को बढ़ाने और हृदय संबंधी जोखिम को बढ़ाने में योगदान करती है।

भारत के लिए महत्व:

- भारत में मुख्य रूप से सफेद चावल और गेहूं जैसे उच्च GI खाद्य पदार्थों के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट की उच्च खपत प्रचलित है, जिससे ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है।
- आहार में GI और GL को कम करने से मधुमेह को रोकने और नियंत्रित करने और भारत में प्रचलित कम आयु में समय से पहले होने वाली हृदय संबंधी बीमारियों को कम करने में मदद मिल सकती है।

निम्न और उच्च **GI** खाद्य पदार्थों के उदाहरण:

- निम्न GI खाद्य पदार्थों में ब्राउन चावल, स्टील-कट ओट्स, फलियां, सेब और अमरूद जैसे फल तथा पालक और ब्रोकोली जैसी सब्जियां शामिल हैं।
- उच्च GI खाद्य पदार्थों में चीनी, सफेद चावल, परिष्कृत आटा, आलू, मीठे पेय और मीठे स्नैक्स शामिल हैं।

मुद्दे:

- उच्च GI खाद्य पदार्थों पर अत्यधिक निर्भरता ग्लाइसेमिक लोड को बढ़ाती है, जिससे मधुमेह और हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है।
- सामान्य आबादी के बीच GI और GL के बारे में जागरूकता की कमी स्वस्थ आहार संबंधी आदतों को अपनाने के प्रयासों में बाधा डालती है।

2. जीवन का स्थायी चक्र

प्रसंग: ऑलिव रिडले समुद्री कछुए पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, समुद्र तटों पर घोंसला बनाते हैं और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले अंडे देते हैं।

- अंडों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के प्रयास महत्वपूर्ण हैं, समर्पित व्यक्ति और संगठन उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं।

घोंसला बनाने का मौसम:

- दिसंबर से अप्रैल तक, तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी का तट ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं का अभयारण्य बन जाता है।

- कछुए प्रति घोंसले में लगभग 100 अंडे देते हैं, जो 45 से 60 दिनों के बाद फूटते हैं और बच्चे समुद्र में जाने के लिए तैयार होते हैं।

चेन्नई में संरक्षण प्रयास:

- वन विभाग और स्टूडेंट्स सी टर्टल कंजर्वेशन नेटवर्क और ट्री फाउंडेशन जैसे गैर सरकारी संगठन घोंसलों की निगरानी करते हैं।
- घोंसले बनाने के मौसम के दौरान स्वयंसेवक और वन रक्षक रात में समुद्र तटों पर गश्त करते हैं, अंडों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अस्थायी हैचरी में स्थानांतरित करते हैं।
- अंडों की गिनती की जाती है, उनकी निगरानी की जाती है और उनसे निकलने के बाद बच्चों को समुद्र में छोड़ दिया जाता है।

संरक्षण प्रयासों की सफलता:

- इस वर्ष चेन्नई तट पर 12,200 से अधिक बच्चे छोड़े गए।
- तमिलनाडु ने 2022-23 के घोंसले के मौसम के दौरान 1.83 लाख बच्चे छोड़े, जो सात वर्षों में सबसे अधिक है।
- कछुओं पर तापमान के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कुछ हैचरियाँ मौसम-निगरानी उपकरणों से सुसज्जित हैं।

चुनौतियाँ:

- समुद्री कछुओं को पानी में खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें मछली पकड़ने के जालों में उलझना भी शामिल है।
- समुद्र तटीय सैरगाहों से होने वाला प्रकाश प्रदूषण कछुओं को भटका सकता है, जिससे उनके घोंसले बनाने के व्यवहार पर असर पड़ता है।

आशा का प्रतीक:

- चुनौतियों के बावजूद, बच्चे अपनी प्रजाति की निरंतरता के लिए आशा का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- उनकी यात्रा समुद्र में जीवन के स्थायी चक्र को दर्शाती है तथा संरक्षण प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालती है।



चित्र: चेन्नई के बेसेंट नगर समुद्र तट पर अंडे देने के 45 दिन बाद निकलता हुआ एक बच्चा।

स्रोत: The hindu

महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित समाचार उपलब्ध नहीं हैं।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. CPCB पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
2. यह वायु और जल गुणवत्ता निगरानी सेवाओं और किसी भी अन्य प्रदूषण संबंधी मुद्दों के लिए जिम्मेदार है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2

- (c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. ओलिव रिडले कछुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक हैं।
2. वे मुख्य रूप से प्रशांत, हिंद और अटलांटिक महासागरों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
3. रुशिकुल्या नदी का मुहाना भारत में ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के सबसे बड़े सामूहिक घोंसला निर्माण स्थलों में से एक है।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

- (a) केवल एक
(b) केवल दो
(c) सभी तीन
(d) कोई भी नहीं

उत्तर: (a)

प्रश्न 3. ग्लाइसेमिक सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भोजन के बाद रक्त शर्करा प्रतिक्रिया के आधार पर कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों को रैंक करता है।
2. रक्त शर्करा की रीडिंग जितनी कम होगी, जीआई उतना ही अधिक होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (a)

प्रश्न 4. कोर मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह वस्तुओं और सेवाओं की लागत में होने वाले बदलाव को इंगित करती है, जिसमें मौसमी तत्वों, जैसे कि भोजन और ऊर्जा से संबंधित कीमतों में उतार-चढ़ाव भी शामिल है।
2. कोर मुद्रास्फीति मूल्य स्तर में अल्पकालिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (a)

प्रश्न 5. भारत का ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम किसके द्वारा प्रबंधित किया जाता है:

- (a) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE)
- (b) नीति आयोग
- (c) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
- (d) भारतीय रिजर्व बैंक

उत्तर: (a)

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. भारत के व्यापक पर्यावरण और धारणीयता लक्ष्यों के अनुरूप पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम (GCP) की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (Critically evaluate the effectiveness of the Green Credit Programme (GCP) introduced by the Environment Ministry in aligning with India's broader environmental and sustainability goals.)

(10 अंक 150 शब्द) (सामान्य अध्ययन - III, पर्यावरण)

प्रश्न 2. वैश्विक वित्तीय स्थिरता पर लगातार उच्च मुद्रास्फीति और काल्पनिक परिसंपत्ति मूल्य मुद्रास्फीति के निहितार्थ का विश्लेषण कीजिए। (Analyze the implications of persistent high inflation and speculative asset price inflation on global financial stability.)

(10 अंक 150 शब्द) (सामान्य अध्ययन - III, अर्थव्यवस्था)

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर **BYJU'S** की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)